http://abcaus.in

कम्प्यूटर परिपत्र सं0-17180 80 दिनांक 03-01-2018

प0 सं0/ /कमि0वा0क0(निरीक्षण अनुभाग)/2017-18/ 723 वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 03 :: जनवरी, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-आई.टी.-रजिस्ट्रेशन/2017-18/1281 दिनांक 07.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो नए पंजीकृत व्यापारियों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न श्रेणी के व्यापारियों की जॉच प्राथमिकता पूर्वक अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।

- दिनांक 01.07.2017 से समस्त नए पंजीकृत व्यापारियों के अस्तित्व में होने का सत्यापन कर्मचारियों से कराया जाए। समस्त कर निर्धारण कार्यालयों को हैण्ड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया गया है। उक्त डिवाइस में प्री-लोडेड मोबाइल ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से व्यापार स्थल का फोटो खींचना सुनिश्चित करें। फोटो खींचने पर व्यापार स्थल का Longitude तथा latitude रक्षित हो जायेगा। मोबाइल ऐप से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए श्री अम्बरीश कुमार 0522-2728198 से सम्पर्क कर समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें।
- ऐसे व्यापारी जो घोषित पते पर कार्यरत न पाये जायें उनका नियमानुसार सर्वेक्षण वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा किया जाये।
- दिनांक 31.08.2017 तक जारी पंजीयन की जॉच दिनांक 31.01.2018 तक, दिनांक 31.10.2017 तक जारी पंजीयन की जॉच दिनांक 28.02.2018 एवं दिनांक 31.12.2017 तक जारी पंजीयन की जॉच दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण करायी जाये।
- जोन के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से पूर्व पंजीकृत ऐसे समस्त व्यापारी जो जी0एस0टी0 में माइग्रेट कर चुके थे तथा बाद में अपना पंजीयन निरस्त करा लिया है और जिनका गत वर्ष का टर्नओवर रू0 10 लाख से अधिक रहा है को चिन्हित करते हुए उनकी जॉच की जाये।
- दिनांक 01.07.2017 से पूर्व में पंजीकृत ऐसे समस्त व्यापारी जिन्होंने जी0एस0टी0 में माइग्रेट नहीं किया है में से ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष का टर्नओवर रू0 10 लाख से अधिक रहा है को चिन्हित करते हुए उनकी जॉच की जाये।
- सर्विस टैक्स के ऐसे व्यापारी जिनका पंजीयन सर्विस टैक्स विभाग द्वारा निरस्त किया जा चुका है, के सम्बन्ध में कर्मचारियों के माध्यम से व्यापार करने अथवा न करने की सूचना एकत्र करायी जाये और यदि उनके द्वारा व्यापार करने की सूचना प्राप्त होती है तो उनकी इस आशय से वाणिज्य कर अधिकारी/असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा जॉच की जाये कि उनका टर्नओवर 20 लाख से अधिक है या कम। टर्नओवर 20 लाख से अधिक पाये जाने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाये। टर्नओवर के ऑकलन हेतु भवन किराया, कार्यरत स्टॉफ की सेलरी, विद्युत बिल, अन्य टैक्स, सभी व्यापारिक लाभ, अनुमानित प्रतिदिन का बिजनेस आदि को आधार बनायें।

http://abcaus.in

- ऐसे नये पंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा ई–वे बिल का प्रयोग किया जा रहा है की जॉच खण्ड के वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- शून्य कर देने वाले अथवा रू0 5000 से कम कर देने वाले व्यापारियों की जॉच खण्ड के असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा की जायेगी।
- वाणिज्य कर अधिकारी एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा जॉच/सर्वेक्षण जी0एस0टी0 नियमावली का अनुपालन करते हुए आर0ई0जी0–30 के प्रारूप में की जायेगी।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

3/01/18

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ